



# जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 169 एच)  
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- सिकन्दरा

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2072 - 2075

पटवार हल्का :- सिकन्दरा

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2020 ) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- सिकन्दरा

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- सिकराय

खाता संख्या नया :- 677

जिला :- दौसा

खाता संख्या पुराना :- 655

काश्तकार का नाम :-

1. श्रीकृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
902	0.0100	गै.मु.उधोग	0.0100	0.00		
921	0.2500	गै.मु.संस्थानिक	0.2500			
923	0.1800	गै.मु.संस्थानिक	0.1800			
925	0.1600	गै.मु.संस्थानिक	0.1600			
926	0.3800	गै.मु.संस्थानिक	0.3800			
<b>कुल खसरे -5</b>	<b>0.9800</b>		<b>0.0000</b>			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - KAMLESH SAINI

पता - SIKANDRA

प्रतिलिपि सं. - 87703

शुल्क - 20 Rs/-

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -08/Jan/2025 10:13:00 AM

नकल जारी करने का स्थान - कियोस्क कोड :- K1287814, पता :- S/O: Prabhudayal Bairwa, , dhani badh, , Sikandara, Sikandra

यू.एस.एन - 7303339016770

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=73033390167704>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - SURENDRA KUMAR

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 30/Jul/2024 02:23:00 PM



NIC

1 1 FEB 2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.  
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN



राजस्थान सरकार



577805

श्रीरामजी

( 1 )

विक्री-पत्र

हरलाल उम्र 38 साल पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी बीदरवाडा  
कृषक सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा -विक्रेता

बहक

श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल  
पुत्र रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय  
जिला-दौसा -क्रेता

जो कि वाके तन ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में खाता संख्या  
618-581 के खसरा नम्बर 694 रकबा 14 विस्वा भूमि स्थित है।  
जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत् 2068 से 2071 में  
मुझ विक्रेता के नाम से दर्ज रिकार्ड में जरिये नोट ना.सं.2152 नि.दि.  
30.12.14 से किस्म परि.से ख.नं.694 किस्म बा.2 से औद्योगिक दर्ज  
की गई है। व खाता संख्या 617-111 के खसरा नम्बर 678 रकबा  
01 विस्वा, खसरा नम्बर 692 रकबा 01 बीघा खसरा नम्बर 696 रकबा  
13 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 01 बीघा 14 विस्वा की खातेदारी  
मुझ विक्रेता के नाम से दर्ज रिकार्ड में जरिये नामा.सं.2152 नि.दि.  
30.12.14 किस्म परि.से सम्पूर्ण खाते की किस्म परिवर्तन कर औद्योगिक दर्ज

लगातार...2.....

उपस्थित  
सिकन्दरा (दौसा)

पत्र क्र. 1/15  
दिनांक 22/2/15  
मूद्रांक देना

$25000 \times 1 = 25000$   
 $15000 \times 1 = 15000$   
योग = 2 = 40,000/-

मूद्रांक कर्ता का नाम... हरलाल पुत्र मोगी लाल कोम भीना नि० बीन्दरवा

व्योचन... कृष्ण सिकन्दरा  
विक्रयपत्र

पत्र क्र. का दशा म हरत का नाम पता... रजय (R01071050/387015)

आ हस्त के हस्ता... पत्रांक विक्रेता के हस्ता  
हरलाल भीना  
राजेश कुमार शर्मा  
वहो-सिकराय (दोसा)

आज दिनांक... 23... माह... 2... वर्ष... 2015  
समय... उप पंजीयक सिकन्दरा के कार्यालय  
में श्री... हरलाल...  
पुत्र श्री... मोगी लाल... जाति भीना  
आयु 38 वर्ष निवासी बीन्दरवा (दोसा)  
द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया।

हरलाल भीना ह प्रस्तुतकर्ता उप पंजीयक सिकन्दरा (दोसा)



- 1. पंजीयन शुल्क... 16170/-
- 2. प्रतिलिपि शुल्क... 300/-
- 3. कपी मूद्रांक... 810/-
- 4. सरचार्ज... 8090/-
- 5. अन्य... -
- 6. कुल... 25370/-
- 7. उ.सं. ... 34/-
- 8. दिनांक... 23/2/2015

उप पंजीयक सिकन्दरा

19 FEB 2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY  
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

भारत



सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान सरकार



401678

:: 2 ::

की गई। इस प्रकार उक्त दोनो खातों की कुल 02 बीघा 08 विस्वा भूमि का एक मात्र स्वामी मैं विक्रेता ही हूँ मेरे अलावा उक्त औद्योगिक संपरिवर्तन शुदा भूमि में किसी अन्य का स्वामित्व खातेदारी अधिकार व हिस्सा नही है। उक्त संपरिवर्तन शुदा भूमि सम्पूर्ण को विक्रय रहन दान स्वरुप हस्तान्तरित करने का विधिक अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है। उक्त भूमि आबादी ग्राम सिकन्दरा व सडक से करीबन एक कि.मी.दूर है। जमीन सर्वभार मुक्त है कोई स्थगन आदेश नही है।

अब मैं विक्रेता अपनी घरु आवश्यकता की पूर्ति हेतु खाता संख्या 618-581 के खसरा नम्बर 694 रकबा 14 विस्वा भूमि सम्पूर्ण व खाता संख्या 617-111 के खसरा नम्बर 678 रकबा 01 विस्वा, खसरा नम्बर 692 रकबा 01 बीघा खसरा नम्बर 696 रकबा 13 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 01 बीघा 14 विस्वा सम्पूर्ण (व दोनो खातों की 02 बीघा 08 विस्वा भूमि) औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि सम्पूर्ण को बिल एवज 8,50,000/-रुपये अक्षरे आठ लाख पचास हजार रुपये मात्र प्रतिफल के बदले में क्रेता श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा

अपनी पत्नी  
सिकन्दरा (दौसा)

लगातार.....3.....

85005



नाम मुद्रांक विक्रेता श्याम सुन्दर शर्मा अनुज्ञा पत्र संख्या-6/08  
दिनांक 28/02/2015 मुद्रांक वेल्ड  
2395

$20000 \times 1 = 20000$   
 $10000 \times 2 = 20000$

योग = 3 = 40,000/- पासीत हजार 40000/-

हस्ताक्षर  
हरलाल पुत्र माँगीलाल कोम भीना निवासी  
वीन्दरवाड़ा बृषभ सिंघन्दरा

हस्ताक्षर का नाम पता  
रकम (Rs 1071050/387015)



केता/हस्ताक्षर

हरलाल शर्मा

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर  
श्याम सुन्दर शर्मा  
स्टाम्प विक्रेता 28/02/2015  
तह. सिकराय जिला-दोसा

दस्तावेज प्रस्तुत कताओं श्री हरलाल  
श्री माँगीलाल जाति भीना  
38 वर्ष निवासी वीन्दरवाड़ा का  
ने दस्तावेज विक्रय पत्र का निष्पादन करत  
स्वीकार/अंगीकार किया एवं प्रतिफल की राशी  
50000/- रुपये लेना स्वीकार किया।

अम पंजीयक-सिंघन्दरा (दोसा)

हरलाल शर्मा



11 FEB 2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.  
15000

FIFTEEN  
THOUSAND RUPEES

Rs.  
15000



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

303934

303934

:: 3 ::

को कतई बेच दीनी है और उक्त दोनो खातों में दर्ज औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा क्रेता का मौके पर आगे होकर करवा दीना है।

उक्त क्रेता को यह अधिकार है कि उक्त विक्रय शुदा भूमि सम्पूर्ण पर काबिज रह काश्त कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ में काम लेवें तथा राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण, जमाबन्दी वाके ग्राम सिकन्दरा में स्वयं अपने नाम से अमल दरामद करावेगा तथा लगान सरकारी मुताविक रेट मुताविक भूमि के बाला बाला जमा करवा कर रसीद प्राप्त करेगा। उक्त दोनो खातों की औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि सम्पूर्ण की समस्त प्रकार की सम्पूर्ण पैदावार आज से उक्त क्रेता की होगी।

उक्त क्रेता को यह भी अधिकार है कि उक्त दोनो खातों की औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि सम्पूर्ण पर आज से स्वयं रहे या संस्था के विकास सम्बन्धी कोई भी कार्य विकास निर्माण करावें इसमें बच्चों के शारीरिक विकास हेतु खेल मैदान, कृषि शिक्षण हेतु कृषि भूमि अथवा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ किसी भी कार्य उपयोग में लेवें। इसमें मुझ विक्रेता को व मेरे समस्त प्रकार के वारिसानों को कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होगी और न ही भविष्य में कोई उज्जदार, हकदार, दावेदार ही पैदा होगा अगर पैदा भी होगा तो वह झूठ होगा।

लगातार...4....

00001



प्राकृतिक वन राजेश कुमार शर्मा पत्र सं. 1/1/11  
दिनांक 22/02/15 प्राकृतिक वन

$$\frac{25000 \times 1}{15000 \times 1} = \frac{25000}{15000}$$

$$\text{योग} = 2 = 40,000$$

पालीम एड्यार कपपम

प्राकृतिक कता का नाम... हरलाल पुत्र मोंगी लाल कोम मीना नि. कीन्दरपाडा

व्यंजन... कृष्ण लिकन्दरा विकपपम

कता का दण. प. का नाम पता... रक्ष्य ( 01001050/387015 )

प्राकृतिक कता का दस्ता... प्राकृतिक विक्रता का दस्ता...

हरलाल शर्मा राजेश कुमार शर्मा  
स्टॉन्स विक्रेता  
वह-विक्रय (दीवा)

दस्तावेज प्रस्तुत कताओं श्री भगवानसिंह  
पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली  
आयु... 32 वर्ष निवासी शिकन्दरेश काश  
व श्री 2 देवी लक्ष्मण पुत्र श्री रामचन्द्र माली  
आयु... 30 वर्ष निवासी शिकन्दरेश काश  
ज्ञानते हैं तथा शिनाख्य करते हैं।

कृष्ण लिकन्दरा (दीवा)

Handwritten signature in a box

Handwritten signature



29 JAN 2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

रु. 10000



Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

A 044805

:: 4 ::

अतः मुझ विक्रेता द्वारा उक्त दोनो खारों की सम्पूर्ण भूमि 02 बीघा 08 विस्वा औद्योगिक प्रयोजनार्थ का विक्रय कर विक्रय राशि क्रेता प्राप्त कर व उक्त विक्रय शुदा भूमि पर कब्जा क्रेता का करवा कर यह विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती 80000/-रुपये पर प्रसन्नचित् स्थिर बुद्धि बिना किसी आग्रह व नाजायज दबाव के लिखवा दिया सो प्रमाण रहेसमय आवश्यकता पर काम आवें। लिखा तारीख 23-2-2015 ई. द्वारा विष्णुकुमार गुप्ता नीति पत्र लेखक ला.नं. 50 तह.सिकराय नोट-यह दस्तावेज विक्रेता व क्रेता के कथनानुसार व बताये अनुसार लिखा है।

*हस्ताक्षर*

हस्ताक्षर विक्रेता

*विष्णुकुमार गुप्ता  
डीडरार्डटर तह सिकराय  
क्र.नं. 50 क्र. 07 दि. 23/2/15*

हस्ताक्षर साक्षी-1

भगवानसहाय पुत्र रामधन

जाति माली नि.सिकन्दरा



हस्ताक्षर साक्षी-2

देवीसहाय पुत्र रामकुंवार

जाति माली नि.कैलाई



*अप फनीवक  
सिकन्दरा (दोसा)*

यह विक्रय पत्र मुझको स्वीकार

ह.क्रेता

*हरि लाल शर्मा*

00001



नाम मुद्रांक विक्रेता श्याम सुन्दर शर्मा अनुज्ञापत्र संख्या-6/08

2795 दिनांक 23/02/15 मुद्रांक वेल्यू

$20000 \times 1 = 20000$   
 $10000 \times 2 = 20000$

योग = 3 = 40,000/- चालीस हजार रुपये मात्र

राजिस्टर क्रम संख्या

मुद्रांक संख्या

हरलाल उब मोंगीलाल कोम मीना निवासी  
वीन्दरबाड़ा बृषभ खिण्डरा

प्रमाणित

हस्तों क्रय की वस्तु में हस्तों का नाम पता

विक्रयपत्र

रकम (23001050/387015)

देता/हस्तों के हस्ताक्षर

हरलाल मीन

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

श्याम सुन्दर शर्मा  
स्टाम्प विक्रेता सिकराय  
तह. सिकराय जिला-दौसा

आज दिनांक 23/2/15 का पुस्तक सं  
क्रम सं 3 ... के क्रम सं (4B) पृष्ठ सं 8)  
पर पंजिकृत किया गया एवं फोटो स्टेट की  
प्रतिलिपि ऑफिस फाईल क्रम संख्या  
पर किया गया।

उप पंजीयक सिकन्दर (दौसा)

4 FEB 2015

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

₹. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

INDIA

सत्यमेव जयते



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान सरकार



A 044909

A 044909

5

फिस के लिये खोलना है।

इसका लक्ष्य

अप फनीक  
सिकन्दरा (दोसा)



नाम मुद्रांक विक्रेता श्याम सुन्दर शर्मा अनुज्ञापत्र संख्या-6/08

दिनांक 23/02/2015 मुद्रांक वेल्ड

रजिस्टर क्रम संख्या 3

मुद्रांक क्रेता का नाम

हरलाल उब माँगी लाल कौम मीना नि. लीन्दरपड़ा

प्रयोजन

कृषक लिन्दर

हस्ते क्रय की दशा में हस्ते का नाम पता

बिजुपपल

रकम (₹ 5071050/387015)

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर


हरलाल उब माँगी

मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

श्याम सुन्दर शर्मा  
स्टाम्प विक्रेता सिकराय  
तह. सिकराय जिला-दौसा

20000 X 1 = 20000  
10000 X 2 = 20000  
योग = 3 = 40000/-

वालीक हार का प्रमाण



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर सिकराय, जिला दौसा

कमांक/भू.रू./2013/

दिनांक/

संपरिवर्तन आदेश

श्री हरलाल पुत्र मॉंगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बींदरवाडा द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम सिकन्दरा, ग्राम पंचायत सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज.) के आवेदन पर तहसीलदार सिकराय व ग्राम पंचायत सिकन्दरा की अभिशंसा व अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी खातेदारी अभिधति में धारित कृषि का राजस्थान भू-राज (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन) के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 9 ए तथा संशोधित अधिसूचना न.एफ-6(6) आर.ई.वी.-6/9रूपीटी-8 दिनांक 26.04.2011 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है।

जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम: श्री हरलाल
2. पिता/पति का नाम सहित पूरा पता: श्री मॉंगीलाल निवासी ग्राम बींदरवाडा, खातेदारी भूमि ग्राम सिकन्दरा ग्राम पंचायत सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज) हां
3. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्य है।
4. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:
  - (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम: निवासी बींदरवाडा, खातेदारी भूमि ग्राम सिकन्दरा, ग्राम पंचायत सिकन्दरा, तहसील सिकराय
  - (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में) खसरा नं. 678, 692, 696, 694, रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा में से 6000 वर्गमीटर भूमि
  - (ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टर में) उपरोक्तानुर

टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

5. संपरिवर्तन का प्रयोजन: औद्योगिक (सीमेन्ट जाली टंकी निर्माण) प्रयोजनार्थ
6. संदेय प्रीमिय की दर: निल
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई चालान सं. 12 दिनांक 25.04.2013 द्वारा राशि 72660/रु मद् 029 में जमा
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम। नही
9. चालान सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो तो जमा कराई गई रकम नही

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला-दौसा

10. क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम नही  
13 के अधीन जारी किया गया है।

11. अन्य विशिष्टयां यदि कोई हो:

निर्माण कार्य नियत विरुद्ध करने पर  
स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावगी।

12. उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा:

1. उपर्युक्त आकृतिक प्रयोजन (औद्योगिक/सीमेन्ट जाली टंकी निर्माण) के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जावेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
4. अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषित प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क गर निर्धारित किया जायेगा तथा पुनरक्षित शुल्क में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये बाध्य होगा।
6. संपरिवर्तन भूमि को हितधारी/स्वामी/खातेदार द्वारा बेचान करने के दौरान नोटिफिकेशन नं. एफ.6(6)रेवेन्यू, 6/9रूपीटी/4 दिनांक 16.01.2012 के बिन्दु संख्या 11 की पालना करनी होगी।
7. औद्योगिक भूमि का उपयोग औद्योगिक (सीमेन्ट जाली टंकी निर्माण) प्रयोजनार्थ होगा अन्य प्रयोजनार्थ नहीं होगा।
8. जिला उद्योग अधिकारी दौसा द्वारा सीमेन्ट जाली टंकी निर्माण उद्योग स्थापित करने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। यदि इसमें किसी प्रकार प्रदूषण फैलता है तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नोट:- निर्माण कार्य हाईवे, स्टेट हाईवे, आम रास्ते की निर्धारित सीमा (इण्डियन रोड कांग्रेस के अनुसार) छोडकर किया जावेगा, संपरिवर्तन भूमि पर स्वीकृत प्लान के अनुसार निर्माण किया जावेगा।


कमांक/भू.रू./2013/406-11  
प्रतिलिपि:-

दिनांक/ 13-5-13

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय(दौसा)


1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदया, दौसा।
2. तहसीलदार सिकराय संदर्भ मे मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमल दरामद हेतु।
3. ग्रम पंचायत सिकन्दरा, पंचायत समिति सिकराय।
4. हल्का पटवारी सिकन्दरा, तहसील सिकराय।
5. आवेदक श्री हरलाल पुत्र मॉंगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम बींदरवाडा, खातेदार ग्राम सिकन्दरा, ग्रम पंचायत सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा, राजस्थान।
6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील सिकराय।
7. कार्यालय प्रति।

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय(दौसा)



4

माना चिग आरवणी कुंठ  
 ममि ए लोल मीना उम मीमानि लोलमोना  
 लानयाम - 1 डि 32 मी, 06 डि 32 मी  
 (संकेत)



मि 5/12/11


696, 692, 694, 698  
 मी 41 मी  
 मी 5/12/11 (32 मी) 94 मी  
 मी 5/12/11 एग  
 $696 = 36m \times 32m = 1152$   
 $692 = 76m \times 32m = 2352$   
 $694 = 32m \times 52m = 1664$   
 $698 = 58m \times 12m = 696$   
 $1152 + 2352 + 1664 + 696 = 5764$   
 मी 5/12/11



नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ

ॐ  
ॐ  
ॐ



ग्रह-विद्यया  
नरं विनाम  
विद्या-दीया  
ॐ

वसु-जगदीश

ॐ  
नमो भगवते  
ॐ १५५५५

ॐ  
ॐ  
ॐ

ॐ  
ॐ  
ॐ

ॐ  
ॐ  
ॐ

**E-CHALLAN**  
**Government Of Rajasthan**  
**Revenue Board**

Valid Upto:- 10/02/2016 Remitter's Copy  
GRN :- **0009103058** Date:- 11/01/2016 1:18:00 PM

BarCode:-   
Office Name:- **Dausa Tehsildar, Sikrai**

Location:- **SIKRAI**  
Year: 11/01/2016 To 31/01/2016

Head(0029)	Amount	₹
0029-00-800-07-02-ग्रामीण भूमि रूपांतरण शुल्क (बाल)	1,532.00	


Discount :- ₹ 0.00  
Total/Net Amount:- ₹ 1,532.00  
One Thousand Five Hundred Thirty Two Rupees and Zero Paise Only

**Payee Detail**

TIN/Acct. no./VehicleNo/TaxId/Lease No:-  
PAN No.:-  
Remitter Name:- **SHREEKRISHNA PUBLIC SCHOOL SHIKSHAN SANSTHAN**  
Address:- Through President Heera Lal S/o Ram Sahay Mali  
R/o Sikandra Sikandra- 303326  
Remarks: Educational Purpose Conversion Fees Of Khasra No 692 Rakba 01 Bigha, Khasra No 696 Rakba 13 Biswa, Khasra No 694 Rakba 14 Biswa, Khasra No 697 Rakba 1 Bigha 10 Biswa Total KhasraRakba 03

**FOR USE IN RECEIVING BANK**

Cheque-DD-No.:  
Bank CIN No:-  
Bank **S.B.B.J.SIKRAI**







राजस्थान सरकार

प्रारूप 'घ'

(देखिये नियम 10(4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा— 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(19)2015 / 194

दिनांक: 12.1.2016

—:: पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश ::—

आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा के आवेदन पर, पहले से कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित 9737 वर्गमीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम -2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक संस्थानिक (institutional) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :-


1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता :-	श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति का सदस्य है :-	नहीं
3. आदेश सं. तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन :	प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय के आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा ख0नं0 678 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि तथा आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी।
या आदेश की तारीख ओर सं. उपदर्शित करते हुए प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवंटित/रूपान्तरण की गई थी :	
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :	संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ।
5. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :- (क) ग्राम/ग्रा.पं./तहसील का नाम:  (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)  (ग) प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(हैक्टेयर या वर्गमीटर में) :	ग्राम सिकन्दरा, ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर  ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर
टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :	नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :-	आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा 12.11 रु. प्रति वर्गमीटर एवं आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा 7.3225 रूपये प्रति वर्गमीटर
7. मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	चालान नं. दिनांक राशि रूपये 12 25.4.2013 72660-00 0007329419 13.8.2015 27778-00
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :	9737 व.मी. का संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण शुल्क डीएलसी दर का 10 प्रतिशत से 14.64 रु0 प्रति वर्गमीटर की दर



नवराष्ट्र

16 2 1

ग्राम-सिकन्दरा  
तहसील-सिकन्दरा  
जिला-दौसा



संशोधन विभाग  
दौसा  
जिला-दौसा  
आ 5/1/15

८-६  
६

तहसीलदार, सिकन्दरा  
जिला-दौसा

### कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

इस कार्यालय के आदेश पत्र क्रमांक: आर18बी(भू0रू0)(19)2015/194-202 दिनांक 12.1.2016 के द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 692 रकबा 1 बीघा ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर भूमि को राज0 भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ से संस्थानिक (शिक्षण संस्थान हेतु) प्रयोजनार्थ आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा तहसील सिकराय के पक्ष में जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय रूपान्तरण किया गया।

  
अति0 जिला कलक्टर  
दौसा

6 SEP 2015



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान राजस्व विभाग 635040

635040

श्रीरामजी

( 1 )

विक्रय-पत्र

हीरालाल उम्र 45 साल पुत्र स्व.श्री रामसहाय सैनी जाति माली निवासी  
सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा -विक्रेता

बहक

श्रीकृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल  
सैनी पुत्र स्व.श्री रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील  
सिकराय जिला-दौसा -क्रेता

जो कि ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में मुझ विक्रेता की खातेदारी  
व कब्जे काशत की भूमि आराजी खसरा नम्बर 697 रकबा 01 बीघा 10  
विस्वा बारानी भूमि स्थित है। जिसका मुझ विक्रेता द्वारा श्रीमान् उपखण्ड  
अधिकारी सिकराय से कृषि से अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण रकबा  
01 बीघा 10 विस्वा जिसकी 3793.50 वर्ग मीटर होती है को संपरिवर्तन  
आदेश संख्या भू.रू./2015/1897-1902 दिनांक 17.8.2015 को  
विधिवत करवा लिया है। जिसका नोट मौजूदा जमाबन्दी के खाता संख्या  
637-199 पर नामान्तरकरण संख्या 2326 दिनांक 31.8.2015 भूमि  
रूपान्तरण से खसरा नम्बर 697 रकबा 01 बीघा 10 विस्वा की किस्म  
बारानी-2 से औद्योगिक दर्ज की गयी है। इस प्रकार उक्त आराजी भूमि  
सम्पूर्ण औद्योगिक प्रयोजनार्थ का एक मात्र स्वामी मैं विक्रेता ही हूँ। मेरे  
अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य का स्वामित्व अधिपत्य व हिस्सा नहीं है।

लगातार.....2.....

00005



11/20 30/9/15 25000 x 2 = 50000

हीरालाल उड खमसालय मैनी 100 माली 2 सिफुन्दरा

विक्री पत्र रकम (048/129 PM20)

हीरालाल(नम)

शरदश कुमार शर्मा राज्य विक्रेता मह-बिकराय (दोसा)

आज दिनांक... 1 माह 10 वर्ष 15 सप्ताह... उप पंजीयक सिकन्दरा के कार्यालय में श्री... हीरालाल पुत्र श्री... शरदश कुमार शर्मा प्रति प्राणी आनु 45 वर्ष निवासी सिकन्दरा द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुतकर्ता उप पंजीयक सिकन्दरा (दोसा)

हीरालाल(नम)

- 1. पंजीयन शुल्क... 1112-0 -
- 2. प्रतिलिपि शुल्क... 300 -
- 3. कर्मी मूद्रांक... 5560 -
- 4. सरचार्ज... 5560 -
- 5. अन्य... 100 -
- 6. कुल... 22640 -
- 7. र.सं. 99
- 8. दिनांक... 1-10-15

उप पंजीयक सिकन्दरा



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

635041

:: 2 ::

उक्त भूमि सम्पूर्ण को विक्रय रहन दान स्वरुप हस्तान्तरित करने का विधिक अधिकार मुझ विक्रेता प्राप्त है। उक्त भूमि किस्म से औद्योगिक है जो आबादी ग्राम सिकन्दरा व राष्ट्रीय राजमार्ग-11 से करीबन एक कि.मी. दूर है। जमीन सर्वभार मुक्त है कोई स्थगन आदेश नहीं है।

अब मैं विक्रेता अपनी घरु आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 697 रकबा 01 रकबा 10 विस्वा बारानी औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण (3793.50 वर्ग मीटर सम्पूर्ण) को बिल एवज 2,50,000/-रुपये अक्षरे दो लाख पचौस हजार रुपये में क्रेता श्रीकृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल सैनी पुत्र स्व. श्री रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा को कतई बेच दीनी है और उक्त भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा उक्त क्रेता (शिक्षण संस्था) का मौके पर आगे होकर करवा दीना है।

चूँकि भूमि में शिक्षण संस्था में बच्चों के विकास हेतु विक्रय की है जिसकी विक्रय अल्प राशि प्राप्त की है जो नाम मात्र है।

उक्त क्रेता को यह अधिकार है कि उक्त भूमि सम्पूर्ण पर काबिज रह उपभोग व उपयोग करे तथा राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण, जमाबन्दी वाके ग्राम सिकन्दरा में संस्था के नाम से अमल दरामद करावे।

उक्त क्रेता को यह भी अधिकार है कि उक्त भूमि सम्पूर्ण पर आज से संस्था स्वयं रखे या संस्था के उपभोग व उपयोग में लेवें। उक्त भूमि सम्पूर्ण में बच्चों के हित में कोई भी कार्य विकास करावें। इसमें मुझ विक्रेता को व मेरे समस्त प्रकार के वारिसानों को कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और न ही भविष्य में कोई उज्रदार, हकदार, दावेदार ही पैदा होगा अगर पैदा भी होगा तो वह झूठा होगा।

दि. क्रम नं०  $\frac{1120}{2}$  30/9/15 मूल्य 25000x22 500000 पन्नास हजार  
 बिक्री का हीरालाल पुत्र रामसहाय शर्मा 400 माली  
 स्थान डि. सि. प्रयाग  
 बिक्री का विशेष  
 रकम रु० 250000 (25 लाख 12 हजार 2000)  
 विक्रेता के हस्ता. ... खरीदार के हस्ता. ...

हीरालाल

  
**राजेश कुमार शर्मा**  
 स्टॉम्प विक्रेता  
 सह-विक्रेता (दोसा)

हस्तावेज प्रस्तुत कताओं श्री हीरालाल  
 श्री रामसहाय जति शर्मा  
 आयु. 45 वर्ष निवासी डि. प्रयाग  
 ने हस्तावेज विक्रय पत्र का 250,000 रूपये लेना स्वीकार किया।  
 स्वीकार/अंगीकार किया एवं 250,000 रूपये लेना स्वीकार किया।  
 सह-विक्रेता (दोसा)

हीरालाल  


अतः मुझ विक्रेता द्वारा उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण का विक्रय कर विक्रय राशि सम्पूर्ण क्रेता से प्राप्त कर उक्त भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा क्रेता का करवा कर यह विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती 50000/-रूपये पर प्रसन्नचित् स्थिर बुद्धि बिना किसी आग्रह व नाजायज दबाव के लिखवा दिया से प्रमाण रहे समय आवश्यकता पर काम आवें लिखा तारीख 30.9.2015 ई. द्वारा निरंजन देव बोहरा नीति पत्र लेख ला.नं.7 तहसील सिकराय नोट- यह दस्तावेज विक्रेता के कथनानुसार व बताये अनुसार लिखा गया है।

*निरंजन देव बोहरा*

-निरंजन देव बोहरा-

नि. घूमरी कोठी कैलाई  
नं. 7  
दिनांक 30/9/15

हस्ताक्षर साक्षी-1

*हरि लाल लाल*  
हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर साक्षी-2

देवीसहाय उम्र 40 साल  
पुत्र रामकुंवार सैनी जाति माली  
नि.घूमरी कोठी कैलाई

भगवान सहाय उम्र 39 साल  
पुत्र रामधन जाति माली  
नि. पटवा मौहल्ल सिकन्दरा



*देवीसहाय सैनी*



*भगवान सहाय*

यह विक्रय पत्र मुझको स्वीकार है।

हस्ताक्षर क्रेता

*हरि लाल लाल*

*अ. क. सिन्हा*  
सिकन्दरा (सैनी)

दस्तावेज प्रस्तुत करताओं श्री देवी लक्ष्मी  
पुत्र श्री रामचंद्र का जाति मांसी  
आयु 40...वर्ष निवासी कल्याण -  
व श्री 2. श्री गणेश लक्ष्मी जी, रामचंद्र मांसी  
आयु 39...वर्ष निवासी विक्रमदरा  
जानते हैं तथा विनाश करती हैं।

उप-पंजीयक सिकन्दरा (दीसा)

देवी लक्ष्मी



Handwritten signature



आज दिनांक 1-10-15 का पुस्तक सं 1  
भाग सं 5 के क्रम सं 900 पृष्ठ सं 100  
पर पंजीकृत किया गया एवं फोटो स्टेट की  
प्रतिलिपि ऑफिस फाईल क्रम संख्या  
पर किया गया।

उप-पंजीयक सिकन्दरा (दीसा)

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

संख्या/भूरू/2015/

दिनांक-

## संपरिवर्तन आदेश

श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय के आवेदन पर तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत सिकन्दरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी खातेदारी अभिधति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भूराज (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन ) नियम 2007 नियम 9 ए के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम पिता का नाम श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली  
सहित तथा नाम सहित पूरा पता जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या जन जाति का सदस्य है : नहीं

3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा

(क) ग्राम /ग्राम पंचायत /तहसील का नाम : ग्राम-सिकन्दरा/ग्राम पंचायत सिकन्दरा  
तहसील सिकराय

(ख) भूमि का खसरा सं और प्रत्येक खसरा सं. ख.नंबर 697 रकबा 1.10 बीघा  
का क्षेत्रफल (हेक्टर)में

(ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये 3793.50 व.मी.  
संपरिवर्तन क्षेत्रफल ( हेक्टर या वर्ग मीटर में )

टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये , राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हे :

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : औद्योगिक प्रयोजनार्थ  
(छोडकर)

5. संदेय प्रमीयर की दर डीएलसी दर का 5 प्रतिशत

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा ई चालान-0007329419 दि० 13.8.2015  
द्वारा कराई गई प्रीमियम की रकम रूपान्तरण शुल्क राशि 27,778/- रू० मद  
0029 में जमा

7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती : "निल"  
यदि कोई हो की जमा करई गई रकम

8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज  
यदि को हो तो जमा कराई गई रकम : नहीं

9. क्या आदेश नियमिति करण के लिये नियम  
12 के अधिन जारी किया गया है।

नोट-निर्माण कार्य स्वीकृति विरुद्ध  
करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

2.....

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला-दौसा

- 10-(1) प्रार्थी स्वयं औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई भूमि का संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियमों / नियमों के तहत मानचित्र अनुमोदित करवायेगें ।
- (2) रूपान्तरित की गई भूमि पर इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही आवेदक द्वारा निर्माण कार्य किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त इस रूपान्तरित भूमि अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।
- (3) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा पुनरीक्षित संपरिवर्तन शुल्क की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य होगा ।
- (4) राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उनकी पालन की जावें ।
11. उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधिन होगा :-
1. उपरोक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
  2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रिमियम धन समपहत हो जायेगा
  3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा
  4. लोक उपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोगविहीत प्राधिकारी में विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा

11  
उपखंड अधिकारी  
सिकंदरा जिला-दौसा  
सिकंदरा

संख्या /भूरू/2015/ 1897-1902

दिनांक : 17/8/15

प्रतिलिपि

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. तहसीलदार सिकंदरा संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु
3. ग्राम पंचायत सिकंदरा तह.सिकंदरा
4. हल्का पटवारी सिकंदरा तहसील सिकंदरा
5. आवेदक श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकंदरा तहसील सिकंदरा
6. तहसील राजस्व लेखाकार तह० सिकंदरा
7. कार्यालय प्रति

उपखंड अधिकारी  
सिकंदरा जिला-दौसा  
सिकंदरा

संहणा /

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

संख्या/भूरू/2015/

दिनांक-

## संपरिवर्तन आदेश

श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय के आवेदन पर तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत सिकन्दरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भूराज (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 नियम 9 ए के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम पिता का नाम श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली  
सहित तथा नाम सहित पूरा पता जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या जन जाति का सदस्य है : नहीं

3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा

(क) ग्राम /ग्राम पंचायत /तहसील का नाम : ग्राम-सिकन्दरा/ग्राम पंचायत सिकन्दरा  
तहसील सिकराय

(ख) भूमि का खसरा सं और प्रत्येक खसरा सं. ख.नंबर 697 रकबा 1.10 बीघा  
का क्षेत्रफल (हेक्टर)में

(ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये 3793.50 व.मी.  
संपरिवर्तन क्षेत्रफल ( हेक्टर या वर्ग मीटर में )

टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये , राजस्व नक्शे के सुसंगत  
भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हे :

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : औद्योगिक प्रयोजनार्थ  
(छोडकर)

5. संदेय प्रमीयर की दर डीएलसी दर का 5 प्रतिशत

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा ई चालान-0007329419 दि० 13.8.2015  
द्वारा कराई गई प्रीमियम की रकम रूपान्तरण शुल्क राशि 27,778/- रू० मद  
0029 में जमा

7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती : "निल"  
यदि कोई हो की जमा करई गई रकम

8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज  
यदि को हो तो जमा कराई गई रकम : नहीं

9. क्या आदेश नियमिति करण के लिये नियम  
12 के अधिन जारी किया गया है।

नोट-निर्माण कार्य स्वीकृति विरुद्ध  
करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

2

उप खण्ड  
सिकन्दरा तहसील

सिकन्दरा तहसील

- 10-(1) प्रार्थी स्वयं औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई भूमि का संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियमों / नियमों के तहत मानचित्र अनुमोदित करवायेगें ।
- (2) रूपान्तरित की गई भूमि पर इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही आवेदक द्वारा निर्माण कार्य किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त इस रूपान्तरित भूमि अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।
- (3) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा पुनरीक्षित संपरिवर्तन शुल्क की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य होगा ।
- (4) राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उनकी पालन की जावें ।
11. उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधिन होगा :-
1. उपरोक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
  2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रिमियम धन समपहत हो जायेगा
  3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा
  4. लोक उपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोगविहित प्राधिकारी में विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा

सुपरवाइजर  
उपखंड अधिकारी  
सिकंदरा जिला-दौसा  
सिकंदरा

संख्या / भूरू / 2015 / 1897-1902

दिनांक : 17/8/15


प्रतिलिपि

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. तहसीलदार सिकंदरा संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु
3. ग्राम पंचायत सिकंदरा तह.सिकंदरा
4. हल्का पटवारी सिकंदरा तहसील सिकंदरा
5. आवेदक श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकंदरा तहसील सिकंदरा
6. तहसील राजस्व लेखाकार तह० सिकंदरा
7. कार्यालय प्रति

सुपरवाइजर  
उपखंड अधिकारी  
सिकंदरा जिला-दौसा  
सिकंदरा

सहणा /

3.



1. 1000 रु. 10/10/00  
 2. 1000 रु. 10/10/00  
 3. 1000 रु. 10/10/00  
 4. 1000 रु. 10/10/00  
 5. 1000 रु. 10/10/00  
 6. 1000 रु. 10/10/00

2  
 अथ पञ्जीरक  
 सिकन्दरा (दीसा)

नम्बर रसीद संख्या.....

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम दीरा (जा ल) क
2. लेख्य-पत्र की किस्म दास्तावेज (जा) शिक-415
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई 66.600
4. प्रतिफल की रकम रुपये पैसे
- क. फीस रजिस्ट्री : 11,12,110
- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री 11120-
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस 300-
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस 5560-
- ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्टि लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 50-00 5560-
- ग. विविध फीस : 100-
- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणिकरण फीस 1230
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
- (6) संरक्षण फीस
- (7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) को अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस

22640-


फीस के प्राप्त होने की तारीख 1-10-15

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के कर्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

IT १०५

नक्शा संख्या



राम प्रसाद

२०१७  
२०१७/१५


३५  
२०१५  
२०१५

उपखण्ड आधिकाारी  
सिकन्दर जिला-दौसा

२३



गणेशाय नमः



IT ०२३

सत्य प्रोत्पत्ति

BS  
2/1/24  
पुणे

पुणे  
०२/०१/२४

उपखण्ड अधिकारी  
सिद्धार्थ जिला-दोसा

राजस्थान सरकार

प्रारूप 'घ'

(देखिये नियम 10(4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा— 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(19)2015/ 194

दिनांक: 12.1.2016

—:: पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश ::—

आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा के आवेदन पर, पहले से कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित 9737 वर्गमीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम -2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक संस्थानिक (institutional) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता :-	श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति का सदस्य है :-	नहीं
3. आदेश सं. तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन :  या  आदेश की तारीख ओर सं. उपदर्शित करते हुए प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवंटित/रूपान्तरण की गई थी :	प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय के आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा ख0नं0 678 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि तथा आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी।
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :	संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ।
5. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :- (क) ग्राम/ग्रा.प./तहसील का नाम:  (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)  (ग) प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(हेक्टेयर या वर्गमीटर में) :  टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :	ग्राम सिकन्दरा, ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर  ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर  नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :-	आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा 12.11 रु. प्रति वर्गमीटर एवं आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा 7.3225 रूपये प्रति वर्गमीटर
7. मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	चालान नं. दिनांक राशि रूपये 12 25.4.2013 72660-00 0007329419 13.8.2015 27778-00
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :	9737 व.मी. का संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ रूपांतरण शुल्क डीएलसी दर का 10 प्रतिशत से 14.64 रु0 प्रति वर्गमीटर की दर से 142593/-रूपये
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर्गत जमा कराई गई रकम :	1. मद 0029 भू-राजस्व : चालान नं. दिनांक राशि रूपये 0009016490 5.1.2016 42155-00 000100000 11.1.2016 1532-00

10. चालान सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	जमा कराई गई शास्ति चालान संख्या      दिनांक      राशि —                              —                              —
11. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	—

(12) अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो :-

1. प्रार्थी स्वयं संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत मानचित्र अनुमोदित करवायेगा।
2. प्रस्तावित भूमि एस.एच.-25 से मोतीपुरा ग्रामीण सड़क के मध्य से 13 मीटर की दूरी पर स्थित है किन्तु बिल्डिंग लाईन हेतु 20 मीटर छोड़कर पुख्ता निर्माण किया जायेगा तथा इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
3. आवेदक को राजस्व(ग्रुप-6)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92-पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 के अनुसार कुल संपरिवर्तन क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये छोड़ना होगा तथा पानी, बिजली की आधारभूत सुविधाओं की स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी।
4. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन शुल्क के निर्धारण या गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य रहेगा।
5. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जावेगी।

(13) उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
4. संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

जिला कलेक्टर, दौसा  
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)  
दिनांक: 12.1.2016

क्रमांक:- आर18बी(भू0रू0)(19)2015/195-202


प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, सिकराय।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा कलेक्ट्रेट दौसा।
4. तहसीलदार, सिकराय को मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. सरपंच ग्राम पंचायत सिकन्दरा पंचायत समिति सिकराय।
6. पटवारी हल्का सिकन्दरा तहसील सिकराय।
7. आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
8. गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर,  
दौसा

नवशेखर

16  
ग्राम-सिकन्दरा  
तह-सिकन्दरा  
दौसा



हस्ताक्षर

5/11/16

C.S.

तहसीलदार, सिकराय  
जिला-दौसा

### कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

इस कार्यालय के आदेश पत्र क्रमांक: आर18बी(भू0रू0)(19)2015/194-202 दिनांक 12.1.2016 के द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 692 रकबा 1 बीघा ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर भूमि को राज0 भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ से संस्थानिक (शिक्षण संस्थान हेतु) प्रयोजनार्थ आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा तहसील सिकराय के पक्ष में जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय रूपान्तरण किया गया।

अति० जिला कलक्टर  
दौसा



# जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 169 एच)  
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- सिकन्दरा

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2072 - 2075

पटवार हल्का :- सिकन्दरा

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2020 ) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- सिकन्दरा

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- सिकराय

खाता संख्या नया :- 738

जिला :- दौसा

खाता संख्या पुराना :- 246

काश्तकार का नाम :-

1. श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकंदरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र रामसहाय सैनी जाति माली हिस्सा- पूर्ण जाति- माली सा.देह  
खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
3350/1010	0.5100	गै.मु.ओधोगिक	0.5100		स्वीकृत नामांतरकरण : 1100 08/02/2025बेचान	
<b>कुल खसरे -1</b>	<b>0.5100</b>					

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - kamlesh siani

पता - sikandra

प्रतिलिपि सं. - 110599

शुल्क - 20 Rs/-

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनांक व समय -02/Dec/2025 10:08:00 AM

नकल जारी करने का स्थान - कियोस्क कोड :- K1287814, पता :- S/O: Prabhudayal Bairwa, , dhani badh, , Sikandara, Sikandra

यू.एस.एन - 7303339017381100

[https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?  
usn=73033390173811007](https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=73033390173811007)

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - H K MEENA

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 08/Feb/2025 07:10:00 PM



NIC

13 APR 2017

299



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

635073

635073

श्रीरामजी

( 1 )

विक्रय-पत्र

हरलाल उम्र 38 साल पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी बीदरवाडा तहसील  
सिकराय जिला-दौसा -विक्रेता

बहक

श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल सैनी  
पुत्र रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा  
-क्रेता

जो कि वाके तन ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में खाता संख्या  
508-497 के खसरा नम्बर 778 रकबा 06 बीघा बंजड भूमि स्थित है। जिसका  
राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वाके ग्राम सिकन्दरा सम्वत् 2068 से 2071 में नोट  
नामान्तरकरण संख्या 2360 दिनांक 19.1.2016 बंटवारा से पूर्व खातेदार इन्द्राज  
निम्नानुसार स्वीकार हुआ। क्रम संख्या-1 खातेदार हनुमान, बनवारी, पूरण, कैलाश  
पि.रेवड मीना, खसरा नम्बर 778/1 रकबा 01 बीघा किस्म बंजड क्रम संख्या-2,  
हरलाल पुत्र मांगीलाल मीना खसरा नम्बर 778/2 रकबा 02 बीघा बंजड क्रम  
संख्या 3 सजना पत्नी शिवराम मीना खसरा नम्बर 778/3 रकबा 03 बीघा  
किस्म बंजड से दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 2366 दिनांक 15.2.2016 भू,

लगातार....2.....

सिकराय (दौसा)

हरलाल मीना



4 MAY 2016



राजस्थान सरकार


635074

635074

:: 2 ::

रूपा.से खसरा नम्बर 778/2 रकबा 02 बीघा की किस्म बंजड से गै.मु.औद्योगिक की गयी। इस प्रकार उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 778/2 रकबा 02 बीघा सम्पूर्ण का मुझ विक्रेता ने उपखण्ड अधिकारी सिकराय से विधिवत औद्योगिक प्रयोजनार्थ 5058 वर्ग मीटर का रूपान्तरण आदेश संख्या रूपा./2016/63-68 दिनांक 25.1.2016 से करवा लिया है। इस प्रकार उक्त रूपान्तरित औद्योगिक प्रयोजनार्थ 02 बीघा भूमि अर्थात् 5058 वर्ग मीटर का एक मात्र स्वामी मैं विक्रेता ही हूँ। मेरे अलावा उक्त भूमि सम्पूर्ण में किसी अन्य का स्वामित्व अधिपत्य व हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सम्पूर्ण को विक्रय रहन दान स्वरूप हस्तान्तरित करने का विधिक अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है। उक्त भूमि आबादी ग्राम सिकन्दरा से व मेगा हाई-वे से करीबन 1 कि.मी.दूर है तथा एन.एच.11 से करीबन दो कि. मी.से अधिक दूर है। जमीन सर्वभार मुक्त हैं,कोई स्थगन आदेश नहीं है।

अब मैं विक्रेता अपनी घरु आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 778/2 रकबा 02 बीघा भूमि अर्थात् 5058 वर्ग मीटर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि सम्पूर्ण को बिल एवज 4,90,000/-रुपये अक्षरे चार लाख निब्बे हजार रुपये मात्र प्रतिफल के बदले में क्रेता श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल सैनी पुत्र रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा को कतई बेच दीनी है और उक्त भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा उक्त क्रेता का मौके पर आगे होकर करवा दीना है।

  
सिकन्दरा (दौसा)

लगातार...3...

162005 23116

55000/22 (2000) बन्धन

हरलाल पुत्र मोतीलाल शर्मा व सिद्धेश्वरी देवी वादी

प्राप्त

बिक्री 1/3

रु. (7396 8452 3342)

हरलाल शर्मा

राजेश कुमार शर्मा  
पं. वि. क्र. 470300

दस्तावेज प्रस्तुत कताओं श्री हरलाल  
पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा जाति शीण  
आयु.....वर्ष निवासी बी. दरवाडा रोड  
ने दस्तावेज विक्रय पत्र का निष्पादन करनी  
स्वीकार/अंगीकार किया एवं प्रतिफल की राशी  
₹ 73,96,845.23 रुपये लेना स्वीकार किया।

उप पंजीयक सिधेश्वरी (दोस्त)

हरलाल शर्मा



उक्त क्रेता को यह अधिकार है कि उक्त विक्रय शुदा भूमि सम्पूर्ण पर काबिज रह उपभोग व उपयोग करें स्वयं रखे किसी अन्य को बतावे या किसी अन्य के हक में रहन बय दान करे अथवा इसे शिक्षण संस्था के भवन उपयोग अथवा खेल मैदान के उपयोग में लेवे इसमें मुझ विक्रेता को व मेरे समस्त प्रकार के वारिसानों को कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और न ही भविष्य में कोई उज्रदार,हकदार,दावेदार ही पैदा होगा अगर पैदा भी होगा तो वह झूठ होगा।

अतःमुझ विक्रेता द्वारा उक्त औद्योगिक प्रयोजना संपरिवर्तन शुदा भूमि सम्पूर्ण का विक्रय कर विक्रय राशि सम्पूर्ण उक्त क्रेता से प्राप्त करके और उक्त विक्रय शुदा भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा उक्त क्रेता का मौके पर आगे होकर करवा कर यह विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती 50000/-रुपये पर प्रसन्नचित् स्थिर बुद्धि बिना किसी आग्रह व नाजायज दबाव के लिखवा दिया सो सनद रहे वक्त जरुरत काम आवें। लिखा तारीख 23.5.2016 ई. द्वारा निरंजन देव बोहरा नीति पत्र लेखक ला.नं.7 तहसील सिकराय नोट-यह दस्तावेज विक्रेता व क्रेता के कथनानुसार व बताये अनुसार लिखा

गया है।

17  
-निर्ंज देव बोहरा-

22/05/2016

61...  
8000/-

ह. साक्षी-1

हरमाल मीका

ह. विक्रेता

ह.साक्षी-2



जन्सीरावदेवी



यह विक्रय पत्र मुझको स्वीकार है।

ह.क्रेता

हरमाल मीका

जन्सीराम देवी श्रीराम माली  
चिवाली-सिकन्दरा

जन्सीराम देवी  
सिकन्दरा

श्रीराम माली

श्रीराम माली -


श्रीराम माली - सिकन्दरा

दस्तावेज प्रस्तुत करताओं श्री जन्सी राम  
 पुत्र श्री श्री राम जाति भाली  
 आयु.....वर्ष निवासी सिकन्दर पेशा  
 व श्री रामेश कुमार श्री. प्रभु पयाल के (का)  
 आयु.....वर्ष निवासी सिकन्दर पेशा  
 जानते हैं तथा सिनाख्त करते हैं।

उप पंजीयक सिकन्दरा (दीसा)

जन्सी राम

रिश्ता कुमारी



आज दिनांक 23/5/16 का पुस्तक स 1  
 क्रम सं 7 के क्रम सं 299 पृष्ठ सं 162  
 पर पंजीयक किया गया एवं फोटो स्टेट की  
 प्रतिलिपि ऑफिस फाइल क्रम संख्या  
 पर दिया गया।

उप पंजीयक सिकन्दरा (दीसा)

Handwritten signature or scribble in blue ink.

Various faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including what appears to be a date '23/5/16' and some illegible text.



10. अन्य विवरण यदि कोई हो :-

निर्माण कार्य नियम विरुद्ध करने पर  
स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

11. उपरोक्त परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगा:-

- (क) उपरोक्त गैर-कृषि प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की जावेगी।
- (ख) यदि आवेदक इस आदेश को जारी करने की तिथि से 05 वर्षों की कालावधि के भीतर परिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में असफल होता है तो अनुमति प्रत्याहरित की जावेगी और आवेदक द्वारा निक्षेपित प्रीमियम राशि समपहरित की जायेगी।
- (ग) नियम 4 में उल्लेखित अनुसार कोई भी भूमि किसी गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की जावेगी।
- (घ) अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (ड.) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जायेगा तथा पुनरक्षित शुल्क में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए बाध्य होगा।
- (च) संपरिवर्तन भूमि को हितधारी/स्वामी/खातेदार द्वारा बेचान करने के दौरान नोटिफिकेशन न. एफ. 6 (6) रेवन्यू, 6/92 पीटी/ 4 दिनांक 16.01.2012 के बिन्दु संख्या 11 की पालना करनी होगी।

नोट- निर्माण कार्य हाईवे, स्टेट हाईवे या आम रास्ते की निर्धारित सीमा (इंडियन रोड कांफ्रेंस के अनुसार) छोड़कर किया जावेगा, संपरिवर्तन भूमि पर स्वीकृत प्लान के अनुसार निर्माण किया जायेगा।

उपखण्ड अधिकारी  
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
(उपखण्ड अधिकारी, सिकराय)  
विहित प्राधिकारी की मोहर

क्रमांक:-रूपा/2016/ 63-68

दिनांक: 25-1-16

प्रतिलिपि निम्न को:-


1. जिला कलेक्टर महोदय दौसा।
2. तहसीलदार, तहसील सिकराय।
3. पटवारी, पटवार हल्का सिकन्दरा।
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सिकन्दरा।
5. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील सिकराय
6. आवेदक - श्री हरलाल मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना जाति मीना निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान
7. कार्यालय पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
(उपखण्ड अधिकारी, सिकराय)

निकोडूर



ग्राम-सिकरा  
तहसील-सिकरा  
जिल्हा-दौसा



करीब


सहायक  
पट्टाधिकारी  
01/9/16

CS.



उपखण्ड अधिकारी  
सिकरा जिला-दौसा

नियंत्रण क्षेत्र



ग्राम-सिखलरा  
तहसील-सिकराय  
जिला-बैसा

करनाम

35 परसेंटर  
नियंत्रण क्षेत्र

सहजमीलवी  
परसिकर  
01/9/16

C.S.


उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला-बैसा

शामिल रहे  
उप-पंजीयक/सहायक-पंजीयक

आवेदक का नाम : हरलाल पुत्र मांगीलाल मोना

ख.नं.  $\frac{778}{2}$  रकबा 2.00 बीघा औद्योगिक संपर्जन हेतु

सम्पत्ति



सजना श्री शिवराम मोना


उपखण्ड अधिकारी

सिकराय जिला-दौसा

आवेदक का नाम : हरलाल पुत्र गांगोलाल मोना

ख.नं.  $\frac{778}{2}$  खस्ता 2.00 बीघा औद्योगिक संपर्जन हेतु

जम्मा



बस्ती

उपखण्ड

अधिकारी  
सिकरय जिला-दौसा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट सिद्धांच

मकल संपरिवर्तन आदेश / न्या० / 2016 / 63-68 डिांड  
23/01/2016 बापक हलाल मीन पुत्र मोगी काल  
मोगी मीनली सिद्धांच सहस्रीड सिद्धांच-मेल - केला

उपखण्ड अधिकारी  
सिद्धांच जिला कोला

कमल 1117  
कमल प्रस्तुत दिनांक 26/11/25  
कमल मंगल करने की दिनांक 27/11/25  
कमल मंगल करने की दिनांक 27/11/25  
कमल दिनांक 12

(रे.ने नियम 9(3), (4) और (6))

## विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, सिकराय (दौसा) का कार्यालय

क्रमांक: रखा/2016/ 62

दिनांक: 25-1-16

## संपरिवर्तन आदेश

श्री हरलाल मीना पुत्र श्री गांगीलाल मीना जाति मीना निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान के आवेदन पर, तहसीलदार सिकराय की अभिशंसा व ग्राम पंचायत सिकन्दरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी खातेदारी काश्तकारी में उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 ए तथा संशोधित अधिसूचना न. एफ-6 (6) आर. ई. वी.-6/92 पीटी-8 दिनांक 26-04-2011 के अधीन गैर-कृषि प्रयोजन के लिये एतद्वारा संपरिवर्तित किया जाता है। जिसके विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं:-

- |  |    |   |
|--|----|---|
| 1. आवेदक खातेदार/काश्तकार का नाम/<br>पिता/पति का नाम और पूर्ण पते सहित       | -  | हरलाल मीना पुत्र श्री गांगीलाल मीना<br>निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय<br>जिला दौसा राजस्थान |
| 2. क्या आवेदक एस.सी. या एस.टी. का सदस्य है                                   | -  | हैं/ अनुसूचित जनजाति (मीना)   |
| 3. परिवर्तित भूमि के विवरण:-   |    |   |
| (क) गाँव, ग्राम पंचायत और तहसील का नाम                                       | :- | सिकन्दरा/सिकन्दरा/सिकराय  |
| (ख) प्रत्येक खसरा नंबर के क्षेत्र के साथ<br>भूमि का खसरा नंबर (हेक्टेयर में) | :- | 778/2 रकबा 02 बीघा  |
| (ग) परिवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में)                            | :- | 02 बीघा अर्थात 5058 वर्ग मीटर   |
| (घ) प्रत्येक खसरा नंबर का क्षेत्र दर्शाते हुये                               | :- | खसरा नंबर 778/2 रकबा 02 बीघा अर्थात<br>5058 वर्गमीटर भूमि सम्पूर्ण                        |



टिप्पणी:- गैर-कृषि प्रयोजन के लिये परिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न की जावे।

- |  |    |  |
|--|----|--|
| 4. परिवर्तन का प्रायोजन  | -  | औद्योगिक प्रयोजनार्थ   |
| 5. देय परिवर्तन प्रभारों की दर   | -  | मौजूदा कृषि भूमि डी.एल.सी. दर की 5 प्रतिशत   |
| 6. चालान की संख्या और तिथि<br>के साथ निक्षेपित प्रीमियम की राशि            | -  | चालान संख्या GRN No 0009275753<br>दिनांक 25-01-2016 से प्रीमियम राशि रूपये<br>37,037/- रूपये मात्र मद 0029 में राशि जमा। |
| 7. चालान की तिथि और संख्या के साथ<br>निक्षेपित शास्ति, यदि कोई हो, की राशि | :- | नही  |
| 8. चालान की तिथि और संख्या के साथ<br>निक्षेपित ब्याज, यदि कोई हो, की राशि- | :- | नही  |
| 9. क्या नियामतिकरण के लिये नियम 13<br>के अधीन आदेश जारी किया गया-          | :- | नही  |

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला दौसा

10. अन्य विवरण यदि कोई हो :-

निर्माण कार्य नियम विरुद्ध करने पर  
स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

11. उपरोक्त परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगा:-

(क) उपरोक्त गैर-कृषि प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की जायेगी।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश को जारी करने की तिथि से 05 वर्षों की कालावधि के भीतर परिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में असफल होता है तो अनुमति प्रत्याहृत की जायेगी और आवेदक द्वारा निक्षेपित प्रीमियम राशि समपहरित की जायेगी।

(ग) नियम 4 में उल्लेखित अनुसार कोई भी भूमि किसी गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयुक्त नहीं की जायेगी।

(घ) अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(ङ.) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जायेगा तथा पुनरक्षित शुल्क में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए बाध्य होगा।

(च) संपरिवर्तन भूमि को हितधारी/स्वामी/खातेदार द्वारा वेचान करने के दौरान नोटिफिकेशन न. एफ. 6 (6) रेवन्यू, 6/92 पीटी/ 4 दिनांक 16.01.2012 के बिन्दु संख्या 11 की पालना करनी होगी।

नोट- निर्माण कार्य हाईवे, स्टेट हाईवे या आम रास्ते की निर्धारित सीमा (इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार) छोड़कर किया जावेगा, संपरिवर्तन भूमि पर स्वीकृत प्लान के अनुसार निर्माण किया जायेगा।

  
उपखण्ड अधिकारी  
विहित प्राधिकारों के हस्ताक्षर  
(उपखण्ड अधिकारी, सिकराय)  
विहित प्राधिकारी की मोहर

क्रमांक:-रूपा/2016/ 63-68

दिनांक: 25-1-18

प्रतिलिपि निम्न को:-

1. जिला कलेक्टर महोदय दौसा।
2. तहसीलदार, तहसील सिकराय।
3. पटवारी, पटवार हल्का सिकन्दरा।
4. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सिकन्दरा।
5. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील सिकराय
6. आवेदक - श्री हरलाल मीना पुत्र श्री मांगीलाल मीना जाति मीना निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान
7. कार्यालय पत्रावली।



इसका प्रतिलिपि

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला दौसा

  
उपखण्ड अधिकारी  
विहित प्राधिकारों के हस्ताक्षर  
(उपखण्ड अधिकारी, सिकराय)

आवेदक का नाम : हरलाल पुत्र मांगीलाल मीना

ख.नं.  $\frac{778}{2}$  रकबा 2.00 बीघा औद्योगिक मंजूरतक हेतु

गमना

रोस्ता	चरागाह	श्रीमि	रकबा
श्रीमि	778	श्रीमि	
ख.नं. 778	2	ख.नं. 778	
सजना श्रीमिनाम	3	पुत्र हरलाल	
मीना		वनवासी कैलाश	
		पि. रसड मीना	



प्रदाशित प्रतिलिपि

  
उपखण्ड अधिकारी  
सिकराय जिला बीसा